

करेंट अफेयर्स बिहार (संग्रह)



जनवरी
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

बिहार

- BPSC छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध शिकायत 3
- बिहार के 42वें राज्यपाल 5
- ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जॉर्ज ऑरवेल को सम्मानित किया 5
- बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को UGC से मान्यता प्राप्त हुई 6
- बिहार में राजनीतिक नेता के खिलाफ FIR दर्ज 7
- नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 9
- बिहार के मुख्यमंत्री ने ओलंपियन, पैरालंपिक एथलीटों को सम्मानित किया 10
- गणतंत्र दिवस: बिहार की झाँकी 12
- बिहार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिये न्यूनतम शिक्षक आवश्यकताएँ निर्धारित कीं 14
- बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन मेनू में किया बदलाव 15

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

बिहार

BPSC छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध शिकायत

चर्चा में क्यों ?

बिहार के एक अधिवक्ता ने कथित पेपर लीक के बाद 70वीं BPSC संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा (CCE) की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे BPSC छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत दर्ज कराई है।

मुख्य बिंदु

- परीक्षा विवाद:
 - ◆ 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित BPSC परीक्षा में 912 केंद्रों पर 3.28 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए।
 - एक परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक होने के आरोपों के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों के लिये 4 जनवरी, 2025 को पुनः परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की गई।
 - ◆ आयोग ने पेपर लीक की बात को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि अन्य केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की गई।
- विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई:
 - ◆ 15 दिनों तक BPSC अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में विरोध प्रदर्शन किया।
 - ◆ 28 दिसंबर, 2024 को पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये लाठियों और पानी की बौछारों का उपयोग किया।
 - ◆ लाठीचार्ज के बाद छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं।
- अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप:
 - ◆ आरोप है कि पुलिस ने छात्रों की हड्डियाँ तोड़ दीं और हाथ जोड़कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर भी अंधाधुंध बल प्रयोग किया।
 - ◆ पुलिस ने ठिठुरती सर्दियों की रातों में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें कीं तथा इस कार्रवाई को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन बताया।
 - ◆ शिकायत में यह भी दावा किया गया कि पुरुष पुलिस अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में महिला प्रदर्शनकारियों की बेरहमी से पिटाई की।
- संवैधानिक एवं नैतिक उल्लंघन:
 - ◆ अत्यधिक बल का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 19(1) (b) का उल्लंघन है, जो शांतिपूर्ण सभा के अधिकार की गारंटी देता है।
 - ◆ आचार संहिता का उल्लंघन किया गया क्योंकि भारत की पुलिस आचार संहिता के सिद्धांत 4 में इस बात पर बल दिया गया था कि बल का प्रयोग न्यूनतम होना चाहिये तथा अनुनय, सलाह और चेतावनी के बाद ही अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिये।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

NHRC के अनुसार, मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की गई है या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है, जो भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य हैं।

- भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी
- **स्थापना:** वर्ष 1993 (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुरूप)
- **अधिनियम:** मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993

राज्य मानवाधिकार आयोग

- PHR अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित
- **सदस्यों की नियुक्ति:** राज्यपाल द्वारा
- **सदस्यों का निष्कासन:** राष्ट्रपति द्वारा

मानवाधिकार दिवस: 10 दिसंबर

कार्य

- ④ मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी शिकायतों की जाँच करना
- ④ मामलों का स्वतः संज्ञान
- ④ मानवाधिकार कार्यान्वयन की समीक्षा और अनुशंसा करना
- ④ मानवाधिकार जागरूकता फैलाना
- ④ मानवाधिकार मुद्दों पर अध्ययन करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना

शक्तियाँ

- ④ व्यक्तियों को समन देना, गवाहों की जाँच करना और साक्ष्य प्राप्त करना
- ④ यह सुनिश्चित करने के लिये जेलों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण करना कि यहाँ स्थितियाँ मानवीय हैं
- ④ मानवाधिकारों से संबंधित न्यायालयी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना

NHRC के सदस्य

संघटन

- ④ 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानद सदस्य
- ④ **अध्यक्ष:** सेवानिवृत्त CJI/SC के न्यायाधीश
- ④ **प्रशासनिक प्रमुख:** महासचिव

नियुक्ति

- ④ **6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, केंद्रीय गृहमंत्री और संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सभी सदस्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक

गठबंधन (GANHRI) में स्थिति:

- NHRC को वर्ष 1999 से 'A' श्रेणी का दर्जा प्राप्त है
- 'A' श्रेणी की स्थिति: वर्ष 2006, 2011 और 2017 में बरकरार रही
- 'A' स्थिति का निलंबन: वर्ष 2023 और वर्ष 2024

कार्यकाल

- ④ 3 वर्ष / 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)

निष्कासन

- ④ राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कासित कर सकता है
- ④ **आधार:** दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोप सिद्ध होने पर



Drishti IAS

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

बिहार के 42वें राज्यपाल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

मुख्य बिंदु

- शपथ प्रशासन:
 - ◆ पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राजभवन में शपथ दिलाई।
 - ◆ समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके उपमुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता उपस्थित थे।
- राज्यपाल:
 - ◆ राज्यपाल की नियुक्ति, उसकी शक्तियाँ और राज्यपाल के पद से संबंधित सभी बातों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 155 तक का प्रावधान है।
 - ◆ राज्यपाल की भूमिका भारत के राष्ट्रपति के समान ही है। वह राज्य के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता है और भारत के संविधान के तहत शासन तंत्र केंद्र सरकार के समान ही है।
 - ◆ कहा गया है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है।
 - वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, जो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से आबंधित है।
 - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

ब्रिटेन के रॉयल मिंट ने जॉर्ज ऑरवेल को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया है।

- स्मारक £2 सिक्के पर ऑरवेल की विरासत का प्रतीक डिजाइन अंकित है।

मुख्य बिंदु

- महान अंग्रेज़ी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून, 1903 को बिहार के मोतिहारी में हुआ था।
- उनके पिता एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे और उनकी माँ बर्मी वंश की थीं।
- ऑरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास 1984 और एनिमल फार्म को अंग्रेज़ी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है और उन्हें अक्सर "शताब्दी के लेखक" के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- ऑरवेल का कार्य, विशेषकर "बिग ब्रदर" और अधिनायकवादी नियंत्रण की अवधारणा, आज भी प्रासंगिक है।
- यह सिक्का ऑरवेल के सत्य, शक्ति और गोपनीयता के विषयों से गहरे संबंध को दर्शाता है तथा साहित्य और वैश्विक विमर्श में उनके स्थायी प्रभाव के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप





बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को UGC से मान्यता प्राप्त हुई

चर्चा में क्यों ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल दिवस पर नालंदा जिले के राजगीर में किया गया।

- मुख्य बिंदु
 - ◆ UGC मान्यता:
 - ◆ बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर को UGC अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के तहत UGC से मान्यता प्राप्त हुई है।
 - ◆ यह मान्यता विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में स्नातक और डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रमों सहित शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- शैक्षणिक कार्यक्रम और भविष्य की योजनाएँ:
 - ◆ विश्वविद्यालय वर्ष 2025-2026 शैक्षणिक सत्र से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है।
 - ◆ इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे:
 - खेल प्रशिक्षण में डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा (दो या तीन खेलों को कवर करना)।
 - योग में डिप्लोमा/पी.जी. डिप्लोमा।
 - चार वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता लंबित)।
- खेल परिसर और अतिरिक्त विकास:
 - ◆ बिहार खेल विश्वविद्यालय और राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का हिस्सा हैं।
 - ◆ इस परिसर ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेज़बानी की।
- शिकायत निवारण तंत्र:
 - ◆ UGC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, UGC (छात्र शिकायत निवारण विनियमन, 2023) के अनुसार, विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू करने के दो महीने के भीतर, छात्र शिकायतों के समाधान के लिये एक लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) 28 दिसंबर, 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिये 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया।
- यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, केंद्र सरकार UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दस अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
- यह नई दिल्ली के साथ-साथ अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है जो बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पणुणे में स्थित हैं।
- यह फर्जी विश्वविद्यालयों, स्वायत्त कॉलेजों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की मान्यता को भी नियंत्रित करता है।

बिहार में राजनीतिक नेता के खिलाफ FIR दर्ज

चर्चा में क्यों ?

बिहार के एक निवासी ने एक राजनीतिक पार्टी के नेता के खिलाफ वित्तीय क्षति पहुँचाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

मुख्य बिंदु

- शिकायतकर्ता, जो एक दूध विक्रेता के रूप में पहचाना जाता है, ने स्थानीय न्यायालय में याचिका दायर की और आरोप लगाया कि एक राजनीतिक नेता के नेतृत्व में आयोजित एक राजनीतिक रैली ने उसके व्यवसायिक कार्यों में बाधा उत्पन्न की।
- हालाँकि, शिकायतकर्ता ने रैली के कारण हुई असुविधा के लिये मुआवज़ा मांगने के अपने अधिकार पर ज़ोर दिया है।
- ◆ यह घटना राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न शिकायतों के लिये कानूनी समाधान की मांग करने वाले नागरिकों की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, जो सार्वजनिक सुविधा के साथ राजनीतिक अभिव्यक्ति के संतुलन पर एक बड़ी बहस को दर्शाती है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- ❖ **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- ❖ **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- ❖ सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें **UAPA** की तुलना में **BNS** में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- ❖ **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- ❖ **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- ❖ **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- ❖ **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- ❖ **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- ❖ **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है



अन्य संशोधन

- ❖ **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- ❖ **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- ❖ **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- ❖ **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध जुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप जुर्माना)
- ❖ **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- ❖ **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार पर इसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- ❖ **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS 2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- ❖ **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS 2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

- ❖ **सोनपुर गाँव** के एक निवासी **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023** की विभिन्न धाराओं के तहत राजनीतिक नेता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें धारा 152 भी शामिल है, जो **राजद्रोह** से संबंधित है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ BNS की धारा 152, अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसकारी गतिविधियों को उत्तेजित करने वाले किसी भी कृत्य को अपराध के रूप में मानती है।
- ◆ यह अलगाववाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करने या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को भी अपराध मानता है।

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

चर्चा में क्यों ?

वन विभाग ने मौजूदा कानूनी जटिलताओं को दूर करने के लिये **नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य** की सीमाओं को संशोधित करना शुरू कर दिया है। यह पहल राजस्थान के प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान शुरू हुई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में चर्चा:
 - ◆ बैठक में निम्नलिखित के बीच असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया गया:
 - ◆ अभयारण्य की मूल अधिसूचना 22 सितंबर 1980 को जारी की गई थी।
 - ◆ 8 मार्च, 2019 को **पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)** अधिसूचना जारी की गई।
 - ◆ जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) ने अभयारण्य की मूल सीमा का विवरण प्रस्तुत किया।
 - ◆ वर्ष 1980 की अधिसूचना में केवल 11 GPS निर्देशांकों का उपयोग करके अभयारण्य की सीमाओं को परिभाषित किया गया था।
 - ◆ वर्ष 2019 के ESZ मानचित्र में 100 संदर्भ बिंदु चिह्नित किये गए हैं, जिससे महत्वपूर्ण सीमा अंतर सामने आए हैं।
 - ◆ इन विसंगतियों के परिणामस्वरूप कई कानूनी मामले और न्यायालयी चुनौतियाँ सामने आईं।
- अभयारण्य मानचित्र को संशोधित करने का निर्णय:
 - ◆ प्राधिकारियों ने **राजस्व अभिलेखों** और 1980 की अधिसूचना के आधार पर अभयारण्य का संशोधित मानचित्र बनाने का निर्णय लिया।
 - ◆ जयपुर चिड़ियाघर के उप वन संरक्षक (वन्यजीव) को नया मानचित्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया।
 - ◆ मसौदा मानचित्र की समीक्षा एक समिति द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध:
 - ◆ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने अभयारण्य और ESZ मानचित्रों में विसंगतियों को उजागर किया है तथा वन विभाग पर गलत मानचित्र तैयार करने का आरोप लगाया है।
 - ◆ **लोकायुक्त** के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसने इस मुद्दे पर ध्यान दिया।
- वन प्राधिकारियों की प्रतिक्रिया:
 - ◆ राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ने लोकायुक्त को जवाब देते हुए कहा:
 - सात वर्ष बाद मानचित्रों पर सवाल उठाना अनुचित था।
 - अभयारण्य और ESZ मानचित्र स्वीकृत और सटीक थे।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य

- परिचय:
 - ◆ यह राजस्थान के जयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों में स्थित है।
 - ◆ इसका नाम नाहरगढ़ किले के नाम पर रखा गया है, जो जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी का किला था।
 - ◆ इसका क्षेत्रफल 720 हेक्टेयर है।
 - ◆ इसमें नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी शामिल है, जो शेर सफारी के लिये प्रसिद्ध है।
- वनस्पति: इसमें शुष्क पर्णपाती वन, झाड़ियाँ और घास के मैदान शामिल हैं।
- जीव-जंतु:
 - ◆ स्तनधारी:
 - सामान्य प्रजातियों में तेंदुए, जंगली सूअर, हिरण, शेर, बाघ, स्लॉथ बीयर और विभिन्न छोटे स्तनधारी शामिल हैं।
 - ◆ पक्षी:
 - पक्षी प्रेमियों के लिये यह एक स्वर्ग है, जहाँ मोर, उल्लू और ईगल जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
 - ◆ सरीसृप एवं उभयचर:
 - इंडियन रॉक अजगर और मॉनिटर लिज़ार्ड जैसे सरीसृपों का निवास स्थान।
 - यहाँ मेंढक और टोड जैसे उभयचर प्राणी भी पाए जाते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री ने ओलंपियन, पैरालंपिक एथलीटों को सम्मानित किया

चर्चा में क्यों ?

पटना के ताज सिटी सेंटर में स्पोर्ट्सटार फोकस बिहार कॉन्क्लेव के दौरान, बिहार के मुख्यमंत्री ने एथलीटों और पैरा-एथलीटों को खेलों में उनकी उपलब्धियों और योगदान के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- सम्मानित किये गये खिलाड़ी:
 - ◆ इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय एथलीटों और पैरा-एथलीटों को सम्मानित किया गया, जिनमें शामिल हैं:
 - दीपा मलिक, पैरालंपिक रजत पदक विजेता।
 - विजेंदर सिंह, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज।
 - पी.आर. श्रीजेश, हॉकी में दोहरे ओलंपिक कांस्य पदक विजेता।
 - शरद कुमार, दोहरे पैरालंपिक पदक विजेता।
 - शिवा केशवन, छह बार के शीतकालीन ओलंपियन।
 - हरेंद्र सिंह, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच।
- राज्य एथलीटों के लिये विशेष पुरस्कार:
 - ◆ स्पोर्ट्सटार कॉन्क्लेव की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, बिहार के एथलीटों को दो विशेष पुरस्कार दिये गए:

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

ओलंपिक

प्राचीन इतिहास

- उत्पत्ति - ओलंपिया, ग्रीस (776 ईसा पूर्व)
- ग्रीक संस्कृति से संबंधित
- प्रतियोगिता - दौड़, कुश्ती और रथ दौड़
- समापन - 393 ई. में सम्राट थियोडोसियस प्रथम द्वारा

आधुनिक इतिहास

- पुनर्जीवित - 19वीं सदी के अंत में पियरे डी कुबर्टिन (IOC के संस्थापक सदस्य) द्वारा
- पहला आधुनिक ओलंपिक - एथेंस, ग्रीस (वर्ष 1896)

आगामी प्रतियोगिताएँ

- शीतकालीन ओलंपिक 2026:** मिलान और कॉर्टिना डी'एम्पेज़ो, इटली
- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028:** लॉस एंजेलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका
- ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032:** ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया
- भारत वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा

पेरिस ओलंपिक 2024

पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर; टोक्यो वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर पहुँचा

भारतीय खिलाड़ी/टीम	पदक	प्रतियोगिता
नीरज चोपड़ा	रज़त	पुरुष भाला फेंक
मनु भाकर और सरबजोत सिंह	कांस्य	10 मीटर एयर पिस्तौल मिश्रित टीम स्पर्धा
स्वप्निल कुसाले	कांस्य	पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन
भारतीय हॉकी टीम	कांस्य	पुरुष हॉकी
मनु भाकर	कांस्य	महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा
अमन सहरावत	कांस्य	पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती स्पर्धा

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)

- स्थापना - वर्ष 1927

- ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों का चयन करता है

लोगो और मोटो/आदर्श वाक्य

- लोगो:** श्वेत पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के 5 इंटरलॉकिंग रिंग (5 महाद्वीपों के सम्मिलन और विश्व एथलीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं)

- आदर्श वाक्य:** सिटिअस, अल्टिअस और फोर्टिअस - कम्यूनितर (अधिक तेज, उच्चतर, अधिक मज़बूत - एकजुट या साथ-साथ) ('कम्यूनितर' को वर्ष 2021 में जोड़ा गया था)



अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

- स्थापना - वर्ष 1894
- ओलंपिक खेलों का संरक्षक
- मुख्यालय - लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड

टोक्यो में होने वाली वर्ष 2020 की ओलंपिक प्रतियोगिता में 5 नए खेल शामिल किये गए: सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पॉर्ट क्लाइम्बिंग, कराटे और बेसबॉल/सॉफ्टबॉल



दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ डेकाथलीट जय प्रकाश सिंह को अनसंग चैंपियन पुरस्कार मिला।
- ◆ किशोर शतरंज प्रतिभा, मोहम्मद रेयान को यंग अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- ◆ दोनों पुरस्कार विजेताओं को 50-50 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया।

पैरालिंपिक्स

- पैरालिंपिक्स पैरा एथलीटों के लिये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और यह ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद आयोजित किया जाता है।
- विकलांग एथलीटों के लिये ओलंपिक शैली के खेल पहली बार वर्ष 1960 में रोम में आयोजित किये गये थे।
- इसकी देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति (IPC) द्वारा की जाती है, जो IOC द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय है।

गणतंत्र दिवस: बिहार की झाँकी

चर्चा में क्यों ?

गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झाँकी में क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया गया, जिसमें प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठित बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया।

- प्रदर्शन में बिहार की ऐतिहासिक पहचान को 'बुद्ध की भूमि' और प्राचीन ज्ञान के केंद्र के रूप में उजागर किया गया।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

गौतम बुद्ध



इन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों (दशावतार) में से 8वाँ अवतार माना जाता है

जन्म


- सिद्धार्थ के रूप में जन्म (563 ईसा पूर्व)
- जन्मस्थान- लुम्बिनी (नेपाल)
कपिलवस्तु के निकट

माता-पिता

- पिता- कपिलवस्तु के निर्वाचित शासक;
शाक्य गणसंघ के मुखिया
- माता - कोशल वंश की राजकुमारी



महत्त्वपूर्ण घटनाएँ



बुद्ध ने स्वयं को तथागत (वह जो जैसा आया था, वैसा ही चला गया) के रूप में संदर्भित किया और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें भागवत के रूप में संबोधित किया गया है।

समकालीन व्यक्ति

- वर्धमान महावीर
- बिम्बिसार
- अजातशत्रु

बुद्ध से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण स्थल

- बोधगया (ज्ञान प्राप्ति) (ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए)
- सारनाथ (प्रथम उपदेश)
- वैशाली (अंतिम उपदेश)
- कुशीनगर (मृत्यु (487 ई.पू.) का स्थान)

मुख्य बिंदु

- बिहार की झाँकी:
- ◆ बिहार की झाँकी ने आठ वर्ष के अंतराल के बाद कर्त्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ◆ झाँकी का केंद्रीय विषय 'स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास' था और इसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को प्रमुखता से दिखाया गया था।
- ◆ झाँकी में **भगवान बुद्ध** की ध्यानमग्न धर्मचक्र मुद्रा में स्थापित प्रतिमा को दर्शाया गया, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। प्रतिमा का मूल स्थान राजगीर में घोड़ा कटोरा जलाशय है।
- ◆ बिहार की झाँकी ने राज्य की ज्ञान और शांति की परंपरा को उजागर किया तथा ज्ञान, मोक्ष और शांति की भूमि के रूप में इसकी ऐतिहासिक पहचान पर जोर दिया गया।
- ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण:
 - ◆ झाँकी में बोधगया के पवित्र बोधि वृक्ष, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और सम्राट कुमारगुप्त द्वारा 427 ई. में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहरों का चित्रण शामिल था।
 - ◆ झाँकी ने विश्व के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की भूमिका पर जोर दिया, जो ज्ञान का वैश्विक केंद्र था, जो चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत और अन्य स्थानों से विद्वानों को आकर्षित करता था।
- भित्ति चित्र और आधुनिक नवाचार:
 - ◆ झाँकी के पार्श्व पैनल पर भित्तिचित्रों में **चंद्रगुप्त मौर्य** के मार्गदर्शक **चाणक्य** के योगदान को दर्शाया गया है तथा प्राचीन वैदिक सभाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है, जिसमें लोकतांत्रिक शासन और न्यायिक प्रणालियों को दर्शाया गया।
 - ◆ एक अन्य भित्तिचित्र में 'गुरु-शिष्य' परंपरा तथा गणित में **आर्यभट्ट** के योगदान पर प्रकाश डाला गया।
 - ◆ एक LED स्क्रीन पर नवनिर्मित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिसर को प्रदर्शित किया गया, जिसे कार्बन-तटस्थ और शुद्ध-शून्य स्थिरता लक्ष्यों के साथ डिजाइन किया गया है, जो आधुनिक शैक्षिक प्रगति को दर्शाता है।

बिहार ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिये न्यूनतम शिक्षक आवश्यकताएँ निर्धारित कीं

चर्चा में क्यों ?

बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में आवश्यक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या के लिये नए मानदंड निर्धारित किये हैं।

मुख्य बिंदु

- इन नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 5) में प्रधानाध्यापक (हेड टीचर) सहित कम से कम पाँच शिक्षक होने चाहिये।
- ◆ कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों के लिये प्रधानाचार्य सहित न्यूनतम नौ शिक्षकों का होना अनिवार्य है।
- ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 जनवरी, 2025 तक प्रत्येक स्कूल के लिये स्वीकृत और आवश्यक शिक्षकों की संख्या का विवरण **e-ShikshaKosh** पोर्टल पर अपलोड करें।
- ◆ विभाग इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक शिक्षक के पास कम से कम एक समर्पित कक्षा-कक्ष होना चाहिये तथा शिक्षकों की आवश्यकताओं का वास्तविक मूल्यांकन प्रत्येक विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।
- 1 से 120 तक छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों में पाँच शिक्षक अनिवार्य हैं।
- ◆ 121 से 150 के बीच छात्र संख्या के लिये छह शिक्षकों की आवश्यकता है। 150 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 40 छात्रों के लिये एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- कक्षा 6 से 8 तक, छात्र संख्या 105 तक के लिये, स्टाफ की आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं:
 - ◆ विज्ञान और गणित के लिये एक शिक्षक
 - ◆ सामाजिक अध्ययन के लिये एक शिक्षक
 - ◆ हिंदी के लिये एक शिक्षक
 - ◆ अंग्रेज़ी के लिये एक शिक्षक
 - ◆ इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार उर्दू एवं संस्कृत शिक्षकों की भी व्यवस्था की जा सकती है।
 - ◆ 105 से अधिक प्रत्येक 35 विद्यार्थियों के लिये एक अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किया जाएगा।
- इन उपायों का उद्देश्य बिहार के स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। ई-शिक्षाकोष पोर्टल
- परिचय:
 - ◆ ई-शिक्षाकोष (e-ShikshaKosh) एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे शैक्षिक डेटा प्रबंधन को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करने, निर्णय लेने में सुधार, संसाधनों का अनुकूलन और विभिन्न स्रोतों से डेटा को समेकित करके वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- मुख्य लाभ
 - ◆ उन्नत निर्णय-निर्माण: निर्णय-निर्माण और संसाधन अनुकूलन में सुधार के लिये डेटा को समेकित करता है।
 - ◆ वास्तविक समय निगरानी: निरंतर निगरानी के लिये अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।
 - ◆ दक्षता: अकुशलताओं को दूर करती है, अतिरिक्त को कम करती है तथा दृढ़ शासन सुनिश्चित करती है।
 - ◆ व्यापक दृश्य: शैक्षिक मीट्रिक्स का समग्र दृश्य प्रस्तुत करता है।
 - ◆ शैक्षिक सुधार: शैक्षिक गुणवत्ता और समानता में निरंतर सुधार का समर्थन करता है।
 - ◆ स्थिरता और समावेशन: एक सतत, समावेशी और अच्छी तरह से प्रबंधित शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देता है।
 - ◆ एकीकृत कार्य: शिक्षण मानकों, छात्र प्रदर्शन निगरानी और ई-लर्निंग कार्यक्रमों जैसे कई शैक्षिक कार्यों को एक मंच पर जोड़ता है।

बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन मेनू में किया बदलाव

चर्चा में क्यों ?

बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन (पीएम पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण) मेनू में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य छात्रों को दिये जाने वाले भोजन के पोषण मूल्य और विविधता को बढ़ाना है।

मुख्य बिंदु

- भोजन में बदलाव इस उद्देश्य से किया गया है कि बच्चों को संतुलित और पोषणयुक्त आहार प्राप्त हो, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार और अध्ययन के परिणामों में वृद्धि हो सके।
- इस अद्यतन मेनू में सोयाबीन और दाल जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ-साथ विभिन्न मौसमी सब्जियों को शामिल करने पर जोर दिया गया है, ताकि छात्रों के लिये संतुलित आहार सुनिश्चित किया जा सके।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- मध्याह्न भोजन योजना स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे छात्रों की उपस्थिति दर में वृद्धि होगी और उनके समग्र विकास को समर्थन मिलेगा।
- ये परिवर्तन बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किये जाएँगे, जो बच्चों के लिये अधिक स्वस्थ और अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिये राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मध्याह्न भोजन योजना (MDMS)

- परिचय:
- मिड डे मिल स्कीम अर्थात् मध्याह्न भोजन योजना विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल पोषण कार्यक्रम है, जो कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों को कवर करता है।
- इस योजना का मूल उद्देश्य स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है।
- नोडल मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
- पृष्ठभूमि: यह कार्यक्रम पहली बार 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिये शुरू किया गया था।
- केंद्र सरकार ने 1995 में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिये पायलट आधार पर एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी और अक्टूबर 2007 तक MDMS को कक्षा 8 तक बढ़ा दिया गया था।

◆ ◆ ◆ ◆

दृष्टि

The Vision

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :